न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–259/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00235)

1. प्रकाश चन्द पुत्र श्री खींवाराम आयु 50 वर्ष जाति मोची, निवासी वार्ड नम्बर 4, मोचीवाडा सीकर हाल आबाद मकान नम्बर 1780 इस्लामगंज, बी–14 सोलह कुंचा शराब के ठेके के पीछे की गली, लुधियाना, पंजाब।
2. शंकर लाल पुत्र भजनलाल जाति मोची निवासी वार्ड 4, मोचीवाडा सीकर हाल आबाद मकान नम्बर 1445, 15 कूंचा फील्ड गंज लुधियाना, पंजाब।
3. दीनदयाल पुत्र गुलाबचन्द, जाति मोची निवासी वार्ड नम्बर 4, मोचीवाडी सीकर हाल आबाद 1445, 15 कूँचा फील्ड गंज लुधियाना , पंजाब।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र जगन्नाथ,
2. ममता देवी पत्नी अशोक कुमार जाति तथाकथित महाजन, वास्तविक जाति मोची निवासी वार्ड नम्बर 4, मोचीवाडा, सीकर,
3. नगर परिषद सीकर जरिये आयुक्त

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 13.08.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील नगर परिषद सीकर के आदेश दिनांक 22.01.2013 पंत्रावली सख्या 169 जारी करने पट्टा संख्या 1849 दिनांक 14.02.2013 से असंतुष्ट होकर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पूर्वजो के रावराजा सीकर द्वारा पट्टाशुदा भूमि पर तथ्यों को छुपाकर अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा स्टेट ग्रान्ट का नया पट्टा लेने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के समक्ष एक आवेदन दिनांक 31.01.2011 को प्रस्तुत किया जिसमें बाद जांच रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम से विधि विरूद्ध स्टेट ग्रान्ट का नया पट्टा जैर अपील जारी करने के आदेश पारित कर पट्टा जारी कर दिया। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट सख्या 3 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने का निर्णय तथ्यों को छुपाकर गत आवेदन के आधार पर अवैध रूप से नियमों के विपरित जाकर पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रश्नगत भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेनट संख्या 1 व 2 के पूर्वजों की शामलाती स्वामित्व की भूमि है

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

जिसका आजादी से पूर्व राजवराजा श्री कल्याणसिह ने सावण सुदी पंचमी सम्वत 1980 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पूर्वज पड़दादा मांगू को पट्टा सख्या 414 जारी किया हुआ है, अब पूर्व पट्टे पर नया पट्टा जारी करना कतई अवैध है लेकिन रेस्पोडेन्ट ने इस तथ्य को जानबुझकर छुपाकर यह पट्टा प्राप्त कर लिया है इसलिऐ उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 जाति से गहलोत मोची है जबकि उन्होने महाजन जाति का बताकर पट्टा प्राप्त किया है, इससे भी पट्टा निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पट्टो के आवेदन के समर्थन में रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 ने फैयाज अली पुत्र हुसैनी खॉ जाति मुलमान निवासी वार्ड नम्बर 4 मोचीवाडा सीकर का शपथ पत्र कुटरचित हस्ताक्षरों के पेश किया है, वह न तो इस मौहल्ले का रहने वाला है और न ही उसने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किये है और उसका शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से वैद्य रूप से तस्दीक भी नही है तथा इसी प्रकार उसने दूसरा शपथ पत्र इसी वार्ड की चौथीदेवी पत्नी मदनवीर प्रसाद मोची का लगाया है लेकिन उस पर भी चौथी देवी की अंगूठा निशान ही है, वह भी कूटरचित रूप से अवैध रूप से तस्दीक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है इस प्रकार दोनों ही शपथ पत्रों के आधार पर प्राप्त किया गया पट्टा अवैध है। उन्होने आगे कथन किया है कि आवेदन के समर्थन में सन् 1959 की वोटरलिस्ट को आधार बताया है उसमें अणची बेवा सेवा का नाम वोटरलिट में होने का सहारा लिया है उसमें अणची बेवा सेवा का नाम बताया है लेकिन उसी वोटरलिस्ट के सेवा के अन्य भाईया का भी नाम दर्ज है और सेवा के ही पिता क नाम रावराजा का पट्टा है तथा आवेदन पत्र में अणचीर बेवा सेवा का सम्बन्ध आवेदन से पिता का बताया है जबकि आवेदक के पिता का नाम जगन्नाथ है और वह जीवित है जिसके जीवित रहते गलत तथ्यों पर प्रस्तुत अवेदन के आधार पर जारी पट्टा निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पत्नी है उसके पति व ससुर जिन्दा है उसके नाम पट्टा जारी करने का कोई आधार भी नही है इसलिये उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट अक्सर वर्षा से रोजगार के सिलसिले में राजस्थान के बाहर रहते है इसलिये रेस्पाडेन्ट संख्या 3 द्वारा दिनांक 24.03.2012 को निकाली गई आपत्ति की सूचना नही मिली, इसलिये समय पर आकर आपत्ति प्रस्तुत नही कर सके अपीलान्ट दिनांक 16.09.2014 को सीकर आये तब उनके शामलाती मकान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने पट्टेशुदा मकान बिकाउ होने का लिखा पाया तब उन्होने पता किया तब प्रश्नगत पट्टे का पता चला इससे पहले अपीलान्ट को उक्त पट्टे की जानकारी नही थी इसलिये जानकारी के दिन से अपील अपीलान्ट न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा देरी के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जावें तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2013 व उसके क्रम में जारी पट्टा संख्या 1849 दिनांक 14.02.2013 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पूर्वजों की शामलाती स्वामित्व की भूमि शहर सीकर के वार्ड नम्बर 1 जिसको आजादी से पूर्व राव राजा कल्याणसिंह जी ने सावण सुदी पंचमी सम्वत 1980 को अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट के पूर्वज पड़ दादा स्व. मांगू मौची के नाम से जारी पट्टा संख्या 414 की कब्जेशुदा पुरानी पुश्तैनी हवेली अवस्थित है, अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 3 जो कि स्वयं मांगू के वंशज लगते है किन्तु अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता क्रमाश खींवाराम, भजन लाल व दीनदयाल यह तीनों व्यक्ति आजादी 1947 से पूर्व ही सीकर स्थित सम्पदा हवेली को छोड़ कर लुधियाना (पंजाब) सपरिवार चले गये थे तथा शहर लुधियाना पंजाब राज्य में करोड़ों रूपये के आलिशान कीमती बंगले एवं आवास निवास स्वयं के मकानात बनाकर लुधियाना में ही आवास निवास करते हुऐ विगत करीब 70 वर्षो से भी अधिक का समय हो चुका है, अर्थात अपने माता–पिता के जीवनकाल से ही शहर लुधियाना में जन्म से ही रहते हुऐ विवाह–शादी, मरण–शरण, शिक्षा–दीक्षा सभी सामाजिक क्रियाकलाप वही शहर लूधियाना में संस्कारित करते हुये स्थाई रूप से रह रहे है तथा आज भी अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 3 का कोई रिहायश तथाकथित सीकर स्थित पट्टाधीन हवेली में कोई कब्जा अपीलान्ट एवं उनके पिता क्रमश खींवाराम, भजनलाल एवं गुलाबचन्द का कभी भी कोई तालूक, सम्बन्ध व कब्जा अधिकार किसी भी प्रकार का कभी नही रहा है, सीकर स्थित सम्पदा पट्टेशुदा हवेली पर एकमात्र कब्जा अधिकार रेस्पोडेन्ट का आज भी मौजूद है। इस प्रकार अपीलान्ट्स ने उपरोक्त हस्तगत अपील केवल मात्र रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 को हैरान परेशान तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता जगन्नाथ पुत्र स्व. सेवाराम जो वयोबृद्ध व्यक्ति है उनके द्वारा अपनी मौजूदगी में ही पुश्तैनी एकमात्र कब्जेशुदा हवेली का पट्टा नगर परिषद सीकर से जगन्नाथ ने अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अशोक कुमार एवं अपनी पुत्रवधु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ममता के नाम से अपनी स्वतंत्र इच्छा व सहमति प्रदान करते हुऐ पट्टा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने बनाया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी लिखित बहस में यह भी अंकित किया है कि पट्टा संख्या 1849 जो दिनांक 14.02.2013 को विधिवत रूप से भी औपचारिकताऐ जो स्टेट ग्राण्ट पट्टा एक्ट 1961 के तहत आवश्यकताऐं है उनकी पूर्ति करते हुए तथा इस पट्टा जारी करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना की अखबार में नगर परिषद सीकर द्वारा प्रकाशित करवाई गयी थी तथा निर्धारित अवधि में अपीलान्ट या किसी अन्य व्यक्ति ने कोई आपत्ति व उज्र किसी प्रकार का नगर परिषद सीकर से पट्टा जारी ना करने की बाबत पेश नही की इस कारण से जब नगर परिषद सीकर के समक्ष पट्टा जारी करने के क्रम में कोई आपत्ति पेश नही हुई तो नियमानुसार नगर परिषद

P.T.O.

क्षेत्रीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा चुनौतीग्रस्त पट्टा संख्या 1849 दिनांक 14.02.13 जारी किया गया है, इस प्रकार गलत रूप से अपीलान्ट्स द्वारा हस्तगत अपील में जो आपत्तियॉ दर्ज की गई है, वह नितान्त बेबूनियाद, आधारहीन होने के कारण तथा कोई सबूत एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में आपत्तियॉ विचारणीय एवं स्वीकार योग्य नही होने के कारण अपीलान्ट्स की अपील चलने योग्य नही है तथा खारिज किये जाने योग्य है, अपीलान्ट प्रकाश चन्द पुत्र खींवाराम मौची ने एक झूठी शिकायत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध उक्त आशय की पुलिस थाना कोतवाली सीकर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 560/14 दिनांक 15.10.14 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 419, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज करवा दी जिस पर पुलिस अधिकारी द्वारा जॉच की गई तथा जॉच में मामला झूठा एवं सही नही होने के कारण अन्तिम रिपोर्ट संख्या 218 दिनांक 31.08.2015 अदम वकू सिविल नेचर में मामला मानकर कार्यवाही समाप्त कर दी। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के कब्जा अधिकार उपयोग व उपभोग की पट्टाशूदा पूर्वजों की सम्पदा हवेली को अपीलान्ट द्वारा झूठी कार्यवाही अदालतों एवं पुलिस महकमे में प्रस्तुत करके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा पिता जगन्नाथ मौची को हैरान व परेशान करते है तथा गरीब व्यक्तियों को आर्थिक व मानसिक कष्ट अपीलान्ट्स पहुॅचाता है इस प्रकार अपीलान्ट्स द्वारा हस्तगत अपील भी केवल मात्र रेस्पोडन्ट संख्या 1 व 2 को हैरान परेशान एवं खर्चे से गैरबाज करने की दुर्भावना से ग्रसित हो कर पेश की गई है, जो एक तंगकारी कार्यवाही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील भी कानूनी दृष्टि से पोषणीय नही है तथा अपीलान्ट ने लिखित बहस में दर्ज तथ्यों की पुष्टि भी नही की है और ना ही कोई ठोस दस्तावेजात तथा ठोस सबूत पेश किया है ऐसी स्थिति में लिखित बहस में दर्ज किये गये तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारिज फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही अपीलाधीन आदेश एवं पट्टा जारी किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है की वादग्रस्त सम्पत्ति अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की पैतृक सम्पत्ति है जो कि जाति से मौची है एवं नगर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

परिषद सीकर द्वारा जारी पट्टे रेस्पोडेन्ट संख्या संख्या 1 व 2 की जाति महाजन लिखी गई एवं अधीनस्थ नगर परिषद सीकर द्वारा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नही किया गया है ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2013 एवं पट्टा संख्या 1849 दिनांक 14.02.2013 विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नगर परिषद सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2013 एवं पट्टा संख्या 1849 दिनांक 14.02.2013 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण आयुक्त, नगर परिषद, सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुऐ प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।